## प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शहरी 2.0 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना के लिए पात्रता मानदंड

- 1. शहरी क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवेदक (निवासी भारतीय) जो आवासीय इकाइयों के अधिग्रहण/निर्माण के इच्छुक हों.
  - i. ईडब्ल्यूएस: वार्षिक सकल घरेलू आय 3 लाख रुपये तक.
  - ii. एलआईजी: वार्षिक सकल घरेलू आय 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक.
  - iii. एमआईजी: वार्षिक सकल घरेलू आय 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक.
- 2. अधिकतम ऋण राशि 25 लाख रुपये है.
- 3. न्यूनतम ऋण अवधि 5 वर्ष है.
- 4. अधिकतम मकान मूल्य 35 लाख रुपये है.
- 5. अधिकतम कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक.
- 6. लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियाँ शामिल होंगी.
- 7. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी वर्ग के आवेदकों के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान (सभी मौसम अनुकूल आवास इकाई) नहीं होना चाहिए.
- 8. पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए पात्र नहीं होंगे.
- 9. यदि किसी पात्र लाभार्थी के माता-पिता को पिछली आवास योजनाओं के तहत पक्का मकान प्रदान किया गया है, तो उस पर लाभार्थियों की सूची में शामिल अन्य पात्र परिवारों/लाभार्थियों, जिनके माता-पिता ने पिछली आवास योजनाओं के तहत कोई लाभ नहीं लिया है, उसके बाद विचार किया जाएगा.
- 10. सभी पात्र लाभार्थियों (परिवार के सदस्यों सिहत) के पास आधार/आधार वर्चुअल आईडी होनी चाहिए जो लाभार्थियों के विवरण और पैन के साथ एकीकृत हो.
- 11. पीएमएवाई-यू 2.0 में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक नगर और उसके बाद अधिसूचित नगर शामिल हैं. इसमें अधिसूचित नियोजन क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसा कि वैधानिक नगरों की सूची में परिभाषित है.

- 12. ग्राहक पात्र नहीं होगा यदि विक्रेता ने पहले ही संपत्ति के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है/आवेदन किया है.
- 13. शेष राशि अंतरण, केवल भूमि की खरीद के लिए ऋण, घर के नवीनीकरण, मरम्मत या विस्तार के लिए ऋण, एनआरआई उधारकर्ता को दिया गया गृह ऋण इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं.
- 14. आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2\_2024/PMAY\_SURVEY/EligiblityCheck.aspx

## Eligibility Criteria for Interest Subsidy Scheme Under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban 2.0

- 1. Applicants (Resident Indian) from Urban area belonging to EWS/LIG and MIG category intending for acquisition/construction of residential units.
- 1. EWS: Annual gross household Income up to Rs. 3 lakhs.
- II. LIG: Annual gross household income above Rs.3 lakhs and up to Rs. 6 lakhs.
- III. MIG: Annual gross household Income above Rs.6 lakhs and up to Rs. 9 lakhs.
- 2. Maximum loan amount is Rs 25 lakhs
- 3. Minimum loan tenure is 5 years
- 4. Maximum house value is Rs 35 lakhs.
- 5. Maximum carpet area up to 120 sq.meter.
- 6. A beneficiary family will comprise of husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters.
- 7. Applicants belonging to EWS/LIG/MIG segments, living in urban areas, should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India
- 8. Applicants who have availed benefits from any housing scheme of Central Govt., State Govt., or Local Self Govt. in the last 20 years will not be eligible for PMAY-U 2.0.
- 9. If a pucca house has been provided to the parents of any eligible beneficiary under the previous housing schemes then, he/she will be considered only after other eligible families/beneficiaries whose parents have not availed any benefit under the previous housing schemes are included in the list of beneficiaries.
- 10. All eligible beneficiaries (including family members) should have an Aadhaar /Aadhaar Virtual ID integrated with the details of beneficiaries and PAN.
- 11. PMAY-U 2.0 covers all statutory towns as per Census 2011 and towns notified subsequently. It also includes Notified Planning Areas and areas within the jurisdiction of Urban Local Bodies (ULBs)/Urban Development Authority (UDAs) as defined in the list of statutory town.
- 12. Customer is not eligible if seller has already availed/applied for subsidy for the property.
- 13. Balance Transfer, Loan for purchase of Land only, Loan for renovation, repair or extension of house, Home Loan provided to NRI borrower are not eligible under the scheme.

## 14. To apply, click the link below

https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2 2024/PMAY SURVEY/Eligiblity Check.aspx